संख्या-I/935993/38-3002-002-1-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक- 15 अप्रैल**, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 **हेतु अनुदान संख्या-**13 **के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/**बजट अनु**0/**बजट मॉग/**2025-2026, **दिनांक** 04.04.2025 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**

2- **इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/2025/**बी-**1-352/**दस-**2025-231/2025, **दिनांक** 27.03.2025 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2025-2026 **हेतु अनुदान संख्या-**13 **के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षक/विवरण के अनुसार कुल रू0-**142740.93 **(रू0-चौदह अरब सत्ताइस करोड चालीस लाख तिरानबे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-**

(1) **उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1 **के पत्र संख्या-बी-**1-1195/**दस-**16/94, **दिनांक** 06.06.1994 **व शासनादेश संख्या-**6/2025/**बी-**1-352/**दस-**2025-231/2025, **दिनांक** 27.03.2025 **में दिये गये प्राविधान तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) **मानक मद-**14 **मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत बजट प्रावधान से संबंधित वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

पृथक से जारी की जायेगी। उक्त स्वीकृति हेतु सुसंगत नियमों व प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कर संगत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(3) **उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष** 2025-26 **के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-**13 **के अन्तर्गत लेखा शीर्षक** 2515-**अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखाशीर्षक/मानक इकाइयों के नामें डाली जायेगी।**

3- **यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।**

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्याः-I/935993/38-3002-002-1-2025 **तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,**उ0प्र0 **प्रयागराज।**

(2) **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,** उ0प्र0 **लखनऊ/प्रयागराज।**

(3) **उपसचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग,** उ0प्र0 **शासन।**

(4) **अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास** उ0प्र0 **लखनऊ।**

(5) **संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग** उ0प्र0 **लखनऊ।**

(6) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**2

(7) **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद,
उप सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-I/935993/38-3002-002-1-2025, **दिनांक-15 अप्रैल, 2025 का संलग्नक।**

(क) लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)		
		(धनराशि लाख रुपये में)
कोडसंख्या	मानक मद	मानक मदवार बजटमाँग की धनराशि
1	2	3
01	01-वेतन	2000.00
03	03-मंहगाई भत्ता	1200.00
04	04-यात्रा व्यय	7.00
05	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00
06	06-अन्य भत्ते	0.78
07	07-मानदेय	1.00
08	08-कार्यालय व्यय	30.00
09	09-विद्युत देय	1875.00
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
15	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75.00
16	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.50
18	18-प्रकाशन	1.00
19	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10
29	29-अनुरक्षण	5.00
44	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
47	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

49	49-चिकित्सा व्यय	50.00
51	51-वर्दी व्यय	2.00
55	55-मकान किराया भत्ता	155.00
58	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10
	योग (मतदेय)	5432.48
42	अन्यव्यय (भारित)	15.00
	कुल योग (मतदेय+भारित)	5447.48

(ख) लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन- 04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

(धनराशि लाख रुपये में)

कोडसंख्या	मानक मद	मानक मदवार बजटमाँग की धनराशि
1	2	3
01	01-वेतन	1350.00
03	03-मंहगाई भत्ता	810.00
04	04-यात्रा व्यय	4.00
05	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
06	06-अन्य भत्ते	1.50
08	08-कार्यालय व्यय	3.00
10	10-जलकर/जल प्रभार	0.50
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
15	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
17	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5.00
29	29-अनुरक्षण	2.00
44	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20
46	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00
47	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	3.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्टेशनरी का क्रय	
49	49-चिकित्सा व्यय	100.00
51	51-वर्दी व्यय	0.50
55	55-मकान किराया भत्ता	80.00
	योग (मतदेय)	2387.70

(ग) लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय		
		(धनराशि लाख रुपये में)
कोडसंख्या	मानक मद	मानक मदवार बजटमाँग की धनराशि
1	2	3
01	01-वेतन	14820.00
03	03-मंहगाई भत्ता	8892.00
04	04-यात्रा व्यय	25.00
05	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00
06	06-अन्य भत्ते	17.00
08	08-कार्यालय व्यय	45.00
10	10-जलकर / जल प्रभार	200.00
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
16	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
17	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	150.00
29	29-अनुरक्षण	200.00
44	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45	45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00
47	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्टेशनरी का क्रय	
49	49-चिकित्सा व्यय	400.00
51	51-वर्दी व्यय	6.00
55	55-मकान किराया भत्ता	602.00
58	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00
	कुल योगः-	25546.00

(घ) लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)

(धनराशि लाख रुपये में)

कोड संख्या	मानक मद	मानक मदवार बजटमाँग की धनराशि
1	2	3
01	01-वेतन	65000.00
03	03-मंहगाई भत्ता	39000.00
04	04-यात्रा व्यय	150.00
05	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12.00
06	06-अन्य भत्ते	196.00
08	08-कार्यालय व्यय	40.00
10	10-जलकर / जल प्रभार	9.00
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20.00
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	8.00
15	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	140.00
16	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
17	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	21.00
29	29-अनुरक्षण	2000.00
44	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

46	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	42.00
47	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00
49	49-चिकित्सा व्यय	1000.00
51	51-वर्दी व्यय	10.00
52	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.25
55	55-मकान किराया भत्ता	1680.00
	कुल योगः-	109359.75

कुल महायोग रू0 लाख में (क) + (ख) + (ग) + (घ) = 5447.48 + 2387.70 + 25546.00 + 109359.75 = 142740.93 (रू0-चौदह अरब सत्ताइस करोड़ चालीस लाख तिरानबे हजार मात्र)

चन्द्रिका प्रसाद,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।